प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

3 कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

4 निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/219, दिनांक 08-03-2021 एवं पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/272, दिनांक 16-03-2021 तथा वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के पत्र संख्या-3715/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/2020-21, दिनांक 27-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 750.00 लाख (रूपए सात करोड़ पचास लाख मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	**संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज**	**धनराशि (लाख में)**
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।	500.00
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	150.00
3	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	100.00
	योग-	**750.00**

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः-

(1) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(2) निदेशक, संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं लाभार्थियों की सूची वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-3030-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/ महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षार प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-666/दस-2021, दिनांक 26.03.2021 में प्राप्त सहमति के पश्चात निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-34 /2021/351(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ/सैफई इटावा/कानपुर।
4. संबंधित संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
5. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in